मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक:2276/1833/2018/1/4 भोपाल, दिनांक 19/09/2018

प्रति,

1 शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल।

2 समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

3 समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

4. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः पब्लिक प्रापर्टी के विरूपण की रोकथाम बाबत्।

उपरोक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 55/2018/एमसीसी/निर्देश/11424 दिनांक 14 सितम्बर 2018 की छायाप्रति मय सहपत्र के संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र मे उल्लेखित निर्देशो का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न – यथोपरि।

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांकः /1833/2018/1/4 भोपाल, दिनांक /09/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/समन्वय/सी/2018/212 भोपाल, दिनांक 8/10/2018

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ निज सहायक,संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र कमांक 55/2018/एमसीसी/निर्देश/11424 दिनांक 14 सितम्बर 2018 की छाया प्रति मय सहपत्र के संलग्न है। कृपया पत्र तथ सहपत्र में उल्लेखित निर्देशों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करें।

6/10/18

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

विधान सभा चुनाव तत्काल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल (Post Box No.1164)
दूरभाष–2551282 फैक्स–0755–4938889,
E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com
website: www.ceomadhyapradesh.nic.in

क्रमांक 55/2018/एमसीसी/निर्देश/11424 भोपाल 14 सितम्बर, 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः– पब्लिक प्रापर्टी के विरूपण के रोकथाम बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 012/2018/10–ए/निर्देश/10392–10393 दिनांक 31.8.2018

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसका पृष्ठांकन आपके विभाग को भी किया गया था (प्रति संलग्न)।

कलेक्टरों के द्वारा संपत्ति विरूपण के रोकथाम हेतु कार्यवाही सभी जिलों में प्रारम्भ कर दी गई हैं। कलेक्टरों के साथ–साथ जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकारियों को भी अपने–अपने संपत्ति के विरूपण की रोकथाम सुनिश्चित किया जाना है।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, निगम/मंडलों तथा जिला/तहसील/ब्लॉक/ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे विभागीय संपत्ति के विरूपण की रोकथाम मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के तहत करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(व्ही.एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल (Post Box No.1164)

दूरभाष–2551282 फैक्स–0755–4938889,

E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com

क्रमांक 01/2018/10–ए/निर्देश/10392 भोपाल 31 अगस्त, 2018

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश।

विषयः– पब्लिक प्रापर्टी के विरूपण की रोकथाम बावत्।

मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव 2018 संपन्न होने जा रहे हैं और निर्वाचन के पूर्व समस्त स्टेकहोल्डर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी तारतम्य में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 (http:/ceomadhyapradesh.nic.in/CEO_Circular.aspx) लागू है जिसके तहत पब्लिक प्रापर्टी से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति/कार्यालय के द्वारा विरूपण के विरूद्ध कदम उठाने का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति/कार्यालय के प्रभारी अधिकारी कार्यालय का यह दायित्व है कि अब तक हुए विरूपण के संबंध में तत्काल कार्यवाही करें/हटायें और भविष्य में विरूपण न होने दें।

जिलों में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के रोकथाम के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

1. संपत्ति विरूपण के रोकथान संबंधी कार्य के लिए जिलास्तर पर एक नोडल अधिकारी (जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो) नियुक्त करें।
2. इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात जिले में स्थित समस्त राज्य/केन्द्रीय कार्यालय के प्रमुख को संपत्ति विरूपण की रोकथाम की कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखें और पत्र की पावती संधारित करें।
3. पत्र तामीली के पश्चात (10 सितम्बर 2018) को उन सभी कार्यालय प्रमुखों से एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्राप्त करें; तत्पश्चात प्रत्येक सप्ताह इनकी समीक्षा करें।
4. जहां–जहां सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के संबंध में राज्य/केन्द्रीय कार्यालयों के प्रभारियों के द्वारा कार्यवाही नही की जाती तो उनके संबंध में उनके उच्च अधिकारियों को पत्र लिखें।

10 सितम्बर 2018 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय में पदस्थ संपत्ति विरूपण संबंधी नोडल अधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करें।

(व्ही.एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक 01/2018/10–ए/निर्देश/10393 भोपाल 31 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. नोडल अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय।

(व्ही.एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश